बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–01/स्था०(का०प०दा०)-05/2018-1417/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/3/2020

श्रीमती अनूपा कुमारी (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–171 दिनांक–25.01.2020 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के कार्यों के निष्पादन एवं कम्बल खरीद में नियमों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढ़ंग से कार्य करने के साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा किये गये पत्राचार का कोई संज्ञान नहीं लेने तथा सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, मनमानेपन एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, लखीसराय के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) के तहत श्रीमती अनूपा कुमारी (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया को अगले आदेश तक के लिए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–01/स्था०(का०प०दा०)-05/2018-1417 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/3/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/श्रीमती अनूपा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बड़हिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/2020

सरकार के विशेष सचिव